2019 का विधेयक संख्यांक 130

[दि अनलाफुल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) अमेंडमेंट बिल, 2019 का हिन्दी अनुवाद]

विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) संशोधन विधेयक, 2019

विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 का और संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) संशोधन अधिनियम, 2019 है ।

5 (2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

धारा 2 का संशोधन ।

1967 का 37 **2.** विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 की उपधारा (1) में,—

(i) खंड (घ) में "धारा 21" शब्द और अंकों के स्थान पर, "धारा 22" 10 शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (जक) में, "अनुसूची" से इस अधिनियम की अनुसूची अभिप्रेत हैं शब्दों के स्थान पर "अनुसूची" से इस अधिनियम की कोई अनुसूची अभिप्रेत हैं शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) खंड (ड) में, "अनुसूची" शब्द के स्थान पर, "पहली अनुसूची" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 25 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) में, "जिसमें ऐसी संपत्ति स्थित है, पुलिस महानिदेशक के लिखित में पूर्व अनुमोदन से ऐसी संपत्ति अभिग्रहण करने का आदेश करेगा" शब्दों के स्थान पर "जिसमें ऐसी संपत्ति स्थित है, पुलिस महानिदेशक के लिखित में पूर्व अनुमोदन से या जहां अन्वेषण, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के किसी अधिकारी द्वारा किया जाता है, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के महानिदेशक के पूर्व अनुमोदन से ऐसी संपत्ति अभिग्रहण करने का आदेश करेगा" शब्द रखे जाएंगे ।

अध्याय 6 के शीर्ष का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम के अध्याय 6 में, अध्याय शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित अध्याय शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात् :—

"आतंकवादी संगठन और व्यष्टि"

धारा 35 का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 35 में,—

(i) उपधारा (1) में,—

(अ) खंड (क) में, "किसी संगठन को" शब्दों के पश्चात् "या चौथी अनुसूची में किसी व्यष्टि का नाम" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(आ) खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ख) अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का सामना करने के लिए पहली अनुसूची में किसी ऐसे संगठन को जोड़ सकेगी, जिसके बारे में यह पता चलता है कि वह संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अध्याय 7 के अधीन सुरक्षा परिषद् द्वारा अंगीकृत संकल्प में आतंकवादी संगठन है या चौथी अनुसूची में किसी व्यष्टि का नाम जोड़ सकेगी ; या";

(इ) खंड (ग) में, "किसी संगठन को" शब्दों के पश्चात् "या चौथी अनुसूची से किसी व्यष्टि का नाम" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ई) खंड (घ) में, "पहली अनुसूची" शब्दों के पश्चात् "या चौथी अनुसूची" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ii) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(2) केंद्रीय सरकार किसी संगठन या किसी व्यष्टि के संबंध में उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन अपनी शक्ति का प्रयोग तभी कर सकेगी जब उसे यह विश्वास हो जाता है कि कोई संगठन या कोई व्यष्टि आतंकवाद में संलिप्त है ।"।

(iii) उपधारा (3) के आरंभिक भाग में, "किसी संगठन को आतंकवाद में

संलिप्त समझा जाएगा, यदि वह" शब्दों के स्थान पर, "किसी संगठन या किसी व्यष्टि को आतंकवाद में संलिप्त समझा जाएगा, यदि ऐसा संगठन या व्यष्टि" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 36 का संशोधन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 36 में,—

(i) पार्श्व शीर्ष में "किसी आतंकवादी संगठन" शब्दों के स्थान पर, "आतंकवादी संगठन या व्यष्टि" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (1) में, "किसी संगठन को अनुसूची से" शब्दों के स्थान पर, "यथास्थिति, किसी संगठन को पहली अनुसूची से या किसी व्यष्टि का नाम चौथी अनुसूची से" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) उपधारा (2) में,—

(क) खंड (ख) में, "आतंकवादी संगठनों के रूप में अनुसूची" शब्द के स्थान पर, "आतंकवादी संगठनों के रूप में पहली अनुसूची" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) चौथी अनुसूची में के रूप में किसी व्यक्ति का नाम सम्मिलित किए जाने से प्रभावित व्यक्ति द्वारा,";

(iv) उपधारा (5) में, "अनुसूची से किसी संगठन को" शब्दों के स्थान पर, "पहली अनुसूची से किसी संगठन को या चौथी अनुसूची से किसी व्यष्टि के नाम को" शब्द रखे जाएंगे ;

(v) उपधारा (6) में, "किसी संगठन" शब्दों के पश्चात्, "या किसी व्यष्टि" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(vi) उपधारा (7) में, "अनुसूची से" शब्दों के स्थान पर, "पहली अनुसूची से या किसी व्यष्टि का नाम चौथी अनुसूची से" शब्द रखे जाएंगे ;

धारा 38 का संशोधन ।

7. मूल अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (1) के परंतुक के खंड (ख) में, "अनुसूची" शब्द के स्थान पर, "पहली अनुसूची" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 43 का संशोधन ।

8. मूल अधिनियम की धारा 43 में,—

(i) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(खक) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की दशा में, निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का है ; ";

(ii) खंड (ग) में, "या खंड (ख)" शब्दों के पश्चात् "या खंड (खक)" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

धारा 45 का संशोधन ।

9. मूल अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के खंड (ii) में, "जहां" शब्द के स्थान पर, "यदि" शब्द रखा जाएगा ।

पहली अनुसूची का संशोधन ।

10. मूल अधिनियम की पहली अनुसूची में, "धारा 2(1)(ड) और धारा 35 देखिए" शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षर के स्थान पर, "धारा 2(1)(ड), धारा 35, धारा 36 और धारा 38(1) देखिए" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ।

दूसरी अनुसूची का संशोधन ।

11. मूल अधिनियम की दूसरी अनुसूची में,—

(क) मद (v) के आरंभ में, "न्यूक्लीय पदार्थ" शब्दों से पहले "समय-समय पर यथासंशोधित" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ख) मद (ix) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(x) न्यूक्लीय आतंकवाद के कार्यों का दमन करने संबंधी अंतरराष्ट्रीय अभिसमय (2005) ।"।

चौथी अनुसूची का जोड़ा जाना ।

12. मूल अधिनियम की तीसरी अनुसूची के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची को जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"चौथी अनुसूची

[धारा 35(1) और धारा 36 देखिए]

क्र.सं.	व्यष्टि का नाम

"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (अधिनियम) व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के अधिक प्रभावी निवारण का उपबंध करने के लिए और आतंकवादी क्रियाकलापों से निपटने के लिए तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया था । उक्त अधिनियम, आतंकवाद के विभिन्न पहलुओं से संबंधित कतिपय उपबंधों को जोड़ने के लिए वर्ष 2004, 2008 और 2013 में संशोधित किया गया है ।

2. वर्तमान में, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण आतंकवाद से संबंधित मामलों के अन्वेषण और अभियोजन की प्रक्रिया में कई कठिनाइयों का सामना करता है । कतिपय विधिक दुर्बलताओं के कारण आतंकवाद से संबंधित मामलों के अन्वेषण और अभियोजन में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा सामना की जाने वाली ऐसी कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए और इस मुद्दे पर अनेक अभिसमयों और सुरक्षा परिषद् के संकल्पों में यथासमादेशित अंतरराष्ट्रीय बाध्यताओं के साथ देशीय विधि का संयोजन करने के लिए, सरकार उक्त अधिनियम का संशोधन करने का प्रस्ताव करती है और उक्त प्रयोजन के लिए विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) संशोधन विधेयक, 2019 पुर:स्थापित करती हैं ।

3. विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) संशोधन विधेयक, 2019, में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के लिए उपबंध है,—

(i) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के महानिदेशक को संपत्ति के अभिग्रहण या कुर्की का तब अनुमोदन मंजूर करने के लिए सशक्त बनाना, जब मामले का अन्वेषण उक्त अभिकरण द्वारा किया जाता है ;

(ii) केंद्रीय सरकार को प्रस्तावित चौथी अनुसूची से किसी व्यष्टि आतंकवादी का नाम जोड़ने या हटाने के लिए और उससे संबंधित अन्य पारिणामिक संशोधनों के लिए सशक्त बनाने हेतु अधिनियम की धारा 35 का संशोधन करना ;

(iii) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के निरीक्षक की पंक्ति के किसी अधिकारी को अध्याय 4 और अध्याय 6 के अधीन अपराधों का अन्वेषण करने के लिए सशक्त बनाने हेतु, अधिनियम की धारा 43 में एक नया खंड (खक) अंत:स्थापित करना ।

4. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
28 जून, 2019

अमित शाह

उपाबंध

विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का अधिनियम संख्यांक 37) से उद्धरण

* * * * *

परिभाषाएं ।

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

* * * * *

(घ) "न्यायालय" से संहिता के अधीन इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले अपराधों का विचारण करने के लिए अधिकारिता रखने वाला कोई दंड न्यायालय अभिप्रेत है और इसमें राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 के अधीन या धारा 21 के अधीन गठित कोई विशेष न्यायालय सम्मिलित है ;

* * * * *

(जक) "अनुसूची" से इस अधिनियम की अनुसूची अभिप्रेत है ;

* * * * *

(ड) "आतंकवादी संगठन" से अनुसूची में सूचीबद्ध कोई संगठन या इस प्रकार सूचीबद्ध किसी संगठन के रूप में उसकी नाम से कार्य करने वाला कोई संगठन अभिप्रेत है ;

* * * * *

अन्वेषण अधिकारी और अभिहित प्राधिकारी की शक्तियां और अभिहित प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील ।

25. (1) यदि अध्याय 4 या अध्याय 6 के अधीन किए गए किसी अपराध का अन्वेषण करने वाले किसी अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई संपत्ति, जिसके संबंध में अन्वेषण किया जा रहा है, आतंकवाद के आगमों से है तो वह, उस राज्य के, जिसमें ऐसी संपत्ति स्थित है, पुलिस महानिदेशक के लिखित में पूर्व अनुमोदन से, ऐसी संपत्ति का अभिग्रहण करने का आदेश करेगा और जहां ऐसी संपत्ति को अभिग्रहण करना व्यवहार्य न हो, वहां यह निदेश देते हुए ऐसी संपत्ति की कुर्की का आदेश देगा कि उस संपत्ति को, ऐसा आदेश करने वाले अधिकारी या उस अभिहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के सिवाय अंतरित नहीं किया जाएगा या अन्यथा कार्यवाही नहीं की जाएगी, जिसके समक्ष अभिगृहीत या कुर्क की गई संपत्ति पेश की जाती है और उस आदेश की एक प्रति संबंधित व्यक्ति को भी भेजी जाएगी ।

* * * * *

अध्याय 6

आतंकवादी संगठन

अनुसूची, आदि का संशोधन ।

35. (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना] द्वारा—

(क) पहली अनुसूची में किसी संगठन को जोड़ सकेगी ; या

(ख) पहली अनुसूची में किसी ऐसे संगठन को भी जोड़ सकेगी, जिसके बारे में यह पता चलता है कि वह अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का सामना करने के लिए, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अध्याय 7 के अधीन सुरक्षा परिषद् द्वारा अंगीकृत संकल्प में

आतंकवादी संगठन है ; या

(ग) पहली अनुसूची से किसी संगठन को हटा सकेगी ; या

(घ) पहली अनुसूची का किसी अन्य रूप में संशोधन कर सकेगी ।

(2) केन्द्रीय सरकार किसी संगठन के संबंध में उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन अपनी शक्ति का प्रयोग तभी कर सकेगी, जब उसे यह विश्वास हो जाता है कि वह आतंकवाद में संलिप्त है ।

(3) उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए, किसी संगठन को आतंकवाद में संलिप्त समझा जाएगा, यदि वह—

(क) आतंकवादी कार्य करता है या उसमें भाग लेता है ;

(ख) आतंकवाद के लिए तैयारी करता है ;

(ग) आतंकवाद में अभिवृद्धि करता है या उसे बढ़ावा देता है ; या

(घ) अन्यथा आतंकवाद में संलिप्त है ।

* * * * *

किसी आतंकवादी संगठन को अधिसूचना से निकाला जाना ।

36. (1) किसी संगठन को अनूसूची से हटाने के लिए धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए कोई आवेदन केन्द्रीय सरकार को किया जा सकेगा ।

(2) कोई आवेदन,—

(क) संगठन द्वारा ; या

(ख) संगठन को किसी आतंकवादी संगठन के रूप में अनुसूची में सम्मिलित किए जाने से प्रभावित किसी व्यक्ति द्वारा,

किया जा सकेगा ।

* * * * *

(5) पुनर्विलोकन समिति, अनुसूची से किसी संगठन को हटाने से इंकार के विरुद्ध पुनर्विलोकन के लिए आवेदन को मंजूर कर सकेगी, यदि उसका यह विचार है कि नामंजूर करने का विनिश्चय, जब उस पर न्यायिक पुनर्विलोकन के किसी आवेदन के संबंध में लागू सिद्धान्तों को ध्यान में रखकर विचार किया गया था, दोषपूर्ण था ।

(6) जहां पुनर्विलोकन समिति, किसी संगठन द्वारा या उसके संबंध में उपधारा (5) के अधीन पुनर्विलोकन मंजूर करती है वहां आशय का कोई आदेश कर सकेगी ।

(7) जहां उपधारा (6) के अधीन कोई आदेश किया जाता है, वहां केन्द्रीय सरकार, उसके द्वारा आदेश की प्रति प्राप्त करने पर, यथासंभवशीघ्र, संगठन को अनुसूची से हटाने का आदेश करेगी ।

* * * * *

किसी आतंकवादी संगठन की सदस्यता से संबंधित अपराध ।

38. (1) कोई व्यक्ति, जो स्वयं को किसी आतंकवादी संगठन से सहबद्ध करता है या उसके क्रियाकलापों को अग्रसर करने के आशय से उसके साथ सहबद्ध होने की घोषणा करता है, किसी आतंकवादी संगठन की सदस्यता से संबंधित कोई अपराध कारित करता है :

परन्तु यह उपधारा वहां लागू नहीं होगी, जहां आरोपित व्यक्ति यह साबित करने में

समर्थ है कि—

* * * * *

(ख) उसने, संगठन को आतंकवादी संगठन के रूप में अनुसूची में सम्मिलित किए जाने के दौरान किसी भी समय उसके क्रियाकलापों में भाग नहीं लिया है ।

* * * * *

अध्याय 4 और अध्याय 6 अधीन अपराधों का अन्वेषण करने के लिए सक्षम प्राधिकारी ।

43. संहिता में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसा कोई पुलिस अधिकारी, जो—

* * * * *

(ग) किसी भी दशा में, जो खंड (क) या खंड (ख) से संबंधित नहीं है, पुलिस उप अधीक्षक से नीचे का या समतुल्य पंक्ति का पुलिस अधिकारी है,

अध्याय 4 और अध्याय 6 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का अन्वेषण नहीं करेगा ।

* * * * *

अपराधों का संज्ञान ।

45. (1) कोई न्यायालय,—

* * * * *

(ii) अध्याय 4 और अध्याय 6 के अधीन, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना और जहां ऐसा अपराध किसी विदेशी सरकार के विरुद्ध किया जाता है, वहां केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना,

किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा ।

* * * * *

पहली अनुसूची

धारा 2 (1) (ड) और धारा 35 देखिए

आतंकवादी संगठन

* * * * *

दूसरी अनुसूची

[धारा 15 (2) देखिए]

* * * * *

(v) न्यूक्लीय पदार्थ की भौतिक संरक्षा संबंधी कन्वेंशन (1980) ;

* * * * *

MGIPMRND—1054LS(CRC)—1-7-2019.